कम्प्यूटर परिपत्र सं0 1516014 दिनांक - 28-05-2015

पत्रसं0-ज्वा0कमि0 (वि0अनु0शा0) मु0/ स0प0/15-16 / रिटर्न मानीटरिंग प्रक्रिया/ 520 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(वि0अनु0शा0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 28 मई 2015

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) /(वि0अनु0शा0)

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

विषय:-व्यापारियों द्वारा दाखिल e-Returns सन्निरीक्षा जोन के पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा भी किये जाने के सम्बन्ध में

वैट अधिनियम 2008 में व्यापारियों को स्वत: इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) की सुविधा अनुमन्य है। इस कारण व्यापारियों द्वारा दाखिल किये गये सभी रुपपत्रों की नियमित सन्निरीक्षा किये जाने के निर्देश करनिर्धारण अधिकारियों को पूर्व में ही दिये गये हैं। मुख्यालय स्तर पर कतिपय जोन के व्यापारियों द्वारा दाखिल e-Retuns की Login सन्निरीक्षा किये जाने पर त्रुटिपूर्ण आई0टी0सी0 क्लेम किये जाने सम्बन्धी अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर को उपरोक्त अनियमितताओं से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्यालय स्तर पर की गयी समीक्षा के आधार पर ऐसे प्रकरणों में फील्ड के सम्बन्धित अधिकारियों से आर0आई0टी0सी0 की कार्यवाही कराते हुए राजस्व क्षरण को रोकने की कार्यवाही कराई गयी है।

इस माध्यम से हो रहे करापवंचन को रोकने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यालय स्तर से रिस्क पैरामीटर निर्धारित कर निर्धारित पैरामीटर्स के पूल में से उपयुक्त पैरामीटर्स का Online चयन कर त्रैमासिक अवधि में व्यापारियों के रुपपत्रों के दाखिलों के पश्चात् फील्ड के पर्यवेक्षक अधिकारी के Login पर भी व्यापारियों की सूची Online उपलब्ध करा दी जाय एवं सूची में अंकित व्यापारियों द्वारा दाखिल रुपपत्रों की विशेष सन्निरीक्षा उनके द्वारा की जाय। कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से सभी रुपपत्रों की नियमित सन्निरीक्षा पूर्ववत की जाती रहेगी।

2- इस हेतु मुख्यालय स्तर से निर्धारित पैरामीटर्स के आधार पर चयनित व्यापारियों की सूची त्रैमास की समाप्ति के पश्चात् स्वत: ही सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर/ जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /(वि.अनु.शा.) / ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) //(वि.अनु.शा.) के Login पर उपलब्ध हो जायेगी। जोनल एडीशनल कमिश्नर/ जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /(वि.अनु.शा.) के लिए प्रत्येक त्रैमास दाखिल रुप पत्रों की विशेष सन्निरीक्षा (स्क्रूटनी) किये जाने का मानक क्रमश: 20-20 तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) /(वि.अनु.शा.) का मानक क्रमश: 30-30 (प्रत्येक के लिये अलग-अलग) निर्धारित किया गया है। चयनित रिटर्न की स्क्रुटनी का कार्य सूची उपलब्ध कराये जाने के 60 दिन के अन्दर पूर्ण कर लिया जाये। वर्ष 2014-15 के चतुर्थ त्रैमास रिटर्न की चयनित सूची शीघ्र ही उपलब्ध कराई जा रही है।

पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा दाखिल रिटर्न की जांच करके केवल सही या त्रुटिपूर्ण रिटर्न के संबंध में Remark अंकित किया जाना है । उनके द्वारा कोई नोटिस आदि जारी नहीं की जानी है । पायी गयी त्रुटियों के आधार पर कार्यवाही कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से ही की जानी है ।

Login पर सूची उपलब्ध होने के बाद सम्बन्धित जोन / सम्भाग के पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए रुपपत्रों की समीक्षा हेतु कार्य सम्पादन सुनिश्चित किया जायेगा :-

1- सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2/(वि.अनु.शा.) तथा ज्वाइण्ट (कार्यपालक)/ /(वि.अनु.शा.) द्वारा अपने Login से MIS On Vyas पर Login किया जायेगा ।

2- Login करने के पश्चात VAT MIS के Link पर Click करने के उपरान्त Main Menu पर उपलब्ध ITC Button के Link पर Click किया जायगा । इसके पश्चात Side Menu में उपलब्ध Return Monitoring Link पर Click किया जायगा ।

3- सम्बन्धित जोन अथवा संभाग का चयन Drop Down से करके तथा Return Quarter का चयन Drop Down से करके Submit करने पर सम्बन्धित व्यापारियों की सूची Screen पर उपलब्ध हो जायगी ।

4- जिन व्यापारियों के Return की Monitoring करनी है उस Row में Return से सम्बन्धित Receipt No. उपलब्ध है,जिस पर Click करने पर सम्पूर्ण Return उपलब्ध हो जायगा ।

5- Return की सम्पूर्ण Analysis के बाद यदि Return पूर्णतया सही है तो OK बटन पर तथा Defective Return की स्थिति में Defective के Radio Button पर Click किया जायगा । दोनो ही दशाओं में Remarks में विवरण अंकित करना अनिवार्य है ।

6- जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0) द्वारा Submit करने पर यह विवरण सम्बन्धित करनिर्धारणअधिकारी के Login पर अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए उपलब्ध हो जायेगा ।

आपसे अपेक्षित है कि कृपया प्रत्येक त्रैमास के लिए उपर्युक्तानुसार अपने Login से चयनित व्यापारियों की सूची प्राप्त कर उनके द्वारा दाखिल रिटर्नस की समीक्षा कर निर्धारित प्रक्रिया / निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी के Login पर ससमय प्रेषित करते हुए त्रुटिपूर्ण Returns के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराते हुए अपने स्तर से इसका अनुश्रवण भी करेंगें ।पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक अवधि में किये गये रुपपत्रों की की गयी समीक्षा संबंधी कृत कार्यवाही का विवरण प्रत्येक मासिक मीटिंग के समय साथ लाना सुनिश्चित करेंगें ।

निर्देशों का कड़ाई से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

27.5.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश ।